राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड

बनाम

एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज और ए.एन.आर.

8 मई, 2000

(सैयद शाह मोहम्मद कादरी और शिवराज वी. पाटिल. जे.जे)

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 धारा 3(3)– 1962 अधिसूचना ने खनन गतिविधि सहित माल के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में किसी भी उद्योग में खपत होने वाली उर्जा को छूट दी– 1963 और 1965 में जारी अधिसूचनाओं ने खानों को दी गई छूट वापस ले ली– प्रतिवादी खनन गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए खदानों से पानी पंप करने के लिए बिजली की खपत की गई– छूट वापस लेने के बाद बिजली शुल्क के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया– ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा मुकदमें को खारिज कर दिया, जिसे बाद में जिला न्यायाधीश ने अनुमति दे दी– उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा के आदेश की पुष्टि की – अपील पर माना जाता है कि खनन गतिविधि को विनिर्माण गतिविधि से अलग किया जाता है और विधायिका द्वारा छूट को जानबूझकर हटा दिया गया था– एक खदान से भंडार की खुदाई करना और फिर उन्हें स्लैब में काटना और पॉलिश करना माल के निर्माण के बराबर नहीं है– जब कोई नया उत्पाद वहाँ अस्तित्व में नहीं आता है। निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं है। पानी को बाहर निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली उर्जा को किसी उद्योग में वस्तुओं के निर्माण, प्रसंस्करण या मरम्मत में खपत की गई ऊर्जा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ताकि 1963 और 1965 की अधिसूचनाओं के तहत छूट या कम शुल्क का दावा किया जा सके।

शब्द और वाक्यांश– निर्माण– का अर्थ।

1962 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें किसी भी उद्योग में वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में खपत होने वाली ऊर्जा को शुल्क से छूट दी गई थी, जिसमें खनन गतिविधियाँ भी शामिल थीं। हालाँकि 1963 और 1965 में जारी की गई दो बाद की अधिसूचनाओं ने पिछली अधिसूचना द्वारा खानों को दी गई छूट वापस ले ली।

उत्तरदाता पत्थरों की खुदाई करते हैं और उन्हें काटकर और पॉलिश करके स्लैब में परिवर्तित करते हैं। खनन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए खदानों से पानी निकालने के लिए बिजली की खपत की जा रही थी। राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3(3) के तहत विद्युत शुल्क लगाया गया, क्योंकि खदानों को दी गई छूट वापस ले ली गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर निषेधाज्ञा मुकदमें को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में जिला न्यायाधीश ने इसकी अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने उक्त आदेश की पुष्टि की। इसलिए यह अपील की।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि खदान से पानी निकालने के लिए ऊर्जा की खपत को माल के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत के लिए खपत की गई ऊर्जा के रूप में नहीं माना जा सकता है, पत्थरों की खुदाई और फिर उन्हें स्लैब में काटने और पॉलिश करने से निर्माण नहीं होता है और पिछली दो अधिसूचनाओं ने खानों के संबंध में छूट को स्पष्ट रूप से वापस ले लिया था।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि पत्थरों की खुदाई और फिर उन्हें स्लैब में काटने और पॉलिश करने से निर्माण होता है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1. 1962 की अधिसूचना में खदानों द्वारा या उनके संबंध में खपत की गई ऊर्जा के लिए कर में स्पष्ट रूप से छूट दी गयी थी, जिसे बाद में 1963 और 1965 में जारी अधिसूचनाओं द्वारा हटा दिया गया था। खदानों को तैयार करने के लिए उनमें से पानी निकालने के लिए विद्युत उर्जा का उपयोग किया जा रहा था। खनन गतिविधि के लिए अर्थात् पत्थरों की खुदाई करना और उसके बाद उन्हें स्लैब में काटना और पॉलिश करना। खनन गतिविधि को विनिर्माण गतिविधि से अलग किया जाता है और खानों के संबंध में इस छाट को हटाने का काम सोच–समझकर किया गया था ताकि खनन गतिविधि को राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम की धारा 3 के दायरे में लाया जा सके। (1185–बी–ई)

खदानों से पानी निकालने के लिए किया जा रहा है, जो विनिर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी खदान से पत्थरों की खुदाई करना और उसके उन्हें काटकर स्लैब में पॉलिश करना माल का निर्माण नहीं है। अधिनियम में इसकी

परिभाषा के अभाव में आम तौर पर और सामान्य बोलचाल में निर्माण शब्द का अर्थ कुछ परिवर्तन से गुजरने के बाद विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाले एक नए और अलग लेख को अस्तित्व में लाना समझा जाना चाहिए। जब कोई नया उत्पाद अस्तित्व में नहीं आता है, तो निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पत्थरों को काटकर स्लैब में चमकाना स्पष्ट और सरल कारण से निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, कोई नया और विशिष्ट वाणिज्यिक उत्पाद अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि अंतिम उत्पाद अभी भी पत्थर ही बना रहा और इस प्रकार इसकी मूल पहचान बनी रही। (1186–सी–एफ)

2.1 1962 की अधिसूचना द्वारा दी गई छूट को विशेष रूप से हटा लिया गया। यह कभी भी दलील नहीं दी गई कि बिजली का उपयोग खदानों से पानी निकालने के लिए किया जा रहा है, जो विनिर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी खदान से पत्थरों की खुदाई करना और उसके उन्हें काटकर स्लैब में पॉलिश करना माल का निर्माण नहीं है। अधिनियम में इसकी परिभाषा के अभाव में आम तौर पर और सामान्य बोलचाल में निर्माण शब्द का अर्थ कुछ परिवर्तन से गुजरने के बाद विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाले एक नए और अलग लेख को अस्तित्व में लाना समझा जाना चाहिए। जब कोई नया उत्पाद अस्तित्व में नहीं आता है, तो निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पत्थरों को काटकर स्लैब में चमकाना स्पष्ट और सरल कारण से निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, कोई नया और विशिष्ट वाणिज्यिक उत्पाद अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि अंतिम उत्पाद अभी भी पत्थर ही बना रहा और इस प्रकार इसकी मूल पहचान बनी रही। (1186–सी–एफ)

2.2 "विनिर्माण" शब्द उस अधिनियम में परिभाषित नहीं है जिसके तहत तीन अधिसूचनाएँ जारी की गयी थीं। अधिनियम की धारा 3(3) के तहत अधिसूचनाओं में प्रयुक्त शब्द "निर्माण" को एक कर संबंधी कानून के रूप में, कानून में इसकी परिभाषा के अभाव में, इसके व्यावसायिक अर्थ में समझा जाना चाहिए। फैक्ट्री अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम या उत्पाद शुल्क अधिनियम जैसे अन्य अधिनियमों में दी गई विनिर्माण की परिभाषाओं को अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में अभिव्यक्ति "निर्माण" की व्याख्या करते समय लागू नहीं किया जा सकता है। (1185–एफ)

राजस्थान सांख्यिकी विद्युत बोर्ड एवं एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज (शिवराज वी. पति. जे) 1181

भारत संघ वि. दिल्ली क्लॉथ एवं जनरल मिल्स कंपनी लि० एंड अन्य, (1977) ईएलटी (जे. 199) और कलेक्टर आॅफ सेंट्रल एक्साइज, जयपुर बनाम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना, राजस्थान, (1991) 4 एससीसी 473, पर भरोसा किया।

3. यदि निर्माण के दौरान कोई भी संचालन आगे के संचालन से इतना अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं का उद्भव होता है और ऐसा संचालन बिजली की सहायता से किया जाता है, तो निर्माण में या उसके संबंध में प्रक्रिया को माना जाना चाहिए। शक्ति की सहायता से एक होना। पानी को पंप करना, पत्थरों की खुदाई करना और उन्हें काटकर स्लैब में पॉलिश करना वस्तुओं के निर्माण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है। किसी खदान से पानी निकालने के लिए खर्च की गयी ऊर्जा को किसी भी उद्योग में उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के निर्माण, प्रसंस्करण या मरम्मत में खपत की गयी ऊर्जा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ताकि 1963 में जारी अधिसूचनाओं के आधार पर छूट या शुल्क की कम दर का दावा किया जा सके और 1965, (1188–बी०–सी, ई–एफ)

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 14.08.1986 से एस.बी.सी.एस.ए 1976 की संख्या 258. ।

प्रदीप अग्रवाल, ए. मिश्रा, सुश्री अंजलि दोशी, ए.पी. धमीजा, सुश्री मधुरिमा टाटिया और सुशील क्र. अपीलकर्ता की ओर से जैन।

प्रमोद दयाल, के.के. प्रतिवादियों की ओर से जैन, राकेश सी. अग्रवाल और अजय के. जैन।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

शिवराज वी. पाटिल, जे हमारे सामने उठाए गए तर्कों और प्रस्तुतियों के आलोक में, इस अपील में विचार और निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या खदान से पानी पंप करना निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण के अर्थ में आता है या माल की मरम्मत ताकि राजस्थान विद्युत (शुल्क)– अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत शुल्क से छूट का दावा किया जा सके। 1962 (संक्षेप में अधिनियम)

2. यह अपील राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा है। मुकदमें में प्रतिवादी जयपुर।

3. संक्षेप एवं सारगर्भित रूप से इस अपील के निस्तारण हेतु जो तथ्य प्रासंगिक एवं आवश्यक माने गये हैं वे निम्नलिखित हैं।

4. वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 एक पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यह कोलियरियों से पत्थरों की खुदाई करने और उसके बाद उन्हें काटने और पॉलिश करके स्लैब में परिवर्तित करने में लगा हुआ है। राजस्थान राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिजली शुल्क लगाया। अधिनियम की धारा 3(3) के तहत राज्य द्वारा दिनांक 26.03.1962 को एक अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसमें किसी भी उद्योग में वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा पर कर से छूट दी गयी थी। भारतीय खान अधिनियम, 1923 में परिभाषित किसी भी खान की।

5. इसके बाद 02.03.1963 को एक अधिसूचना जारी की गयी, जिसमें उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 23.03.1962 को हटा दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रो–कैमिकल उद्योग और इलेक्ट्रो–थर्मों उद्योगों की इलेक्ट्रिक भट्टियों में खपत होने वाली ऊर्जा पर बिजली शुल्क को हटा दिया गया और खपत की गयी ऊर्जा पर इस तरह के शुल्क को कम कर दिया गया। अन्य उद्योगों में माल के निर्माण. उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में 3 नए पैसे प्रति यूनिट से 1 नए पैसे प्रति यूनिट तक। इसके अलावा 01.11.1965 को एक और अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसमें ऊपर उल्लिखित पहले की दो अधिसूचनाओं को हटा दिया गया था और 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क तय किया गया था, जिस पर बिजली शुल्क की गणना की जाएगी। हालाँकि, उक्त अधिसूचना के खंड (सी) द्वारा, राजस्थान राज्य ने अधिसूचना के खंड (ए) में उल्लिखित उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में खपत होने वाली ऊर्जा पर शुल्क को घटाकर 1 कर दिया है। पैसे प्रति यूनिट। बाद में दिनांक 05.03.1979 की अधिसूचना द्वारा इसे बढ़ाकर 2 पैसे कर दिया गया।

6. प्रतिवादी ने दिनांक 30.06.1972, 21.12.1973 और 30.11.1974 को तीन नोटिस जारी कर वादी को 0.05 प्रति यूनिट की पूरी दर से बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा, यह मानते हुए कि वादी न तो बिजली शुल्क से छूट का हकदार था और न ही शुल्क की कम दर। इसलिए वादी उक्त नोटिस में की गयी मांगों के अनुसार प्रतिवादी को बिजली शुल्क वसूलने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। वादी ने कोटा में जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की। विद्वान जिला न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को पलटते हुए अपील की अनुमति दी और वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी।

प्रतिवादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ, जयपुर में दूसरी अपील दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने वादी के पक्ष में पारित फैसले और डिक्री की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। इसलिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायलय द्वारा पारित उक्त निर्णय और डिक्री की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है।

7. श्री प्रदीप अग्रवाल ने प्रतिवादी नं० 1 के लिए विद्वान वकील से अपील की कि

(1) खदान से पानी निकालने के लिए ऊर्जा की खपत को उद्योग द्वारा वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में खपत की गयी ऊर्जा के रूप में नहीं माना जा सकता है। खदान से पत्थरों की आगे खुदाई करना और उसके बाद उन्हें स्लैब में काटना और पॉलिश करना किसी भी निर्माण के बराबर नहीं था.

(2) दिनांक 02.03.1963 और दिनांक 01.11.1965 की बाद की दो अधिसूचनाओं ने किसी भी खदान के संबंध में छूट को स्पष्ट रूप से हटा दिया है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्हें कलेक्टर आॅफ सेंट्रल एक्साइज, जयपुर बनाम राजस्थान में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना, राजस्थान, (1991) 4 एस.सी.सी 473।

8. इसके विपरीत, वादी के विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हुए दलीलें दीं। उन्होंने तर्क दिया कि पत्थरों की खुदाई के बाद उन्हें काटकर और पॉलिश करके स्लैब बनाया जाना ही निर्माण कहलाता है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। प्रासंगिक सीमा तक 3 अधिसूचनाएं यहाँ नीचे दी गई हैं–

अधिसूचना दिनांक 26.03.1962

"राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 1962 के खंड 3 के उप–खंड 3 के अनुसरण में, राजस्थान अंतिम कर संग्रह अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 23) की धारा 3 के तहत उसमें सम्मिलित घोषणा के साथ पठित, राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हिते में अनुचित है, इसलिए वह उपभोग की गयी ऊर्जा को कर से छूट देती है–

1. माल के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में किसी भी उद्योग में एक उपभोक्ता द्वारा और
2. भारतीय खान अधिनियम, 1923 (1923 का केंद्रीय अधिनियम) में परिभाषित किसी भी खान द्वारा या उसके संबंध में,"

अधिसूचना दिनांक 02.03.1963

"राजस्थान विद्युत (शुल्क अधिनियम, 1962 (राजस्थान अधिनियम 12, 1962) की धारा की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्पाद एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 9(2) का अधिक्रमण करते हुए) ई.एंड टी/62/1 दिनांक 26 मार्च, 1962 राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में समीचीन है, इसके द्वारा इलेक्ट्रो कैमिकल उद्योगों और इलैक्ट्रो की इलैक्ट्रिक भट्टियों में खपत होने वाली ऊर्जा पर विधिवत बिजली भेजती है। थर्मल उद्योग और माल के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में अन्य उद्योगों में खपत होने वाली ऊर्जा पर शुल्क को तीन नए पैसे प्रति यूनिट से घटाकर एक पैसा प्रति यूनिट कर देता है।"

अधिसूचना दिनांक 01.11.1965

"राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (राजस्थान अधिनियम 12, 1962) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 26 तारीख की सरकारी अधिसूचना संख्या थ् 9(2)/म्–ज्/62–प्प् का अधिक्रमण करते हुए मार्च, 1962 और संख्या एफ.(6)एफडी/आरटी/63 दिनांक 2 मार्च, 1963 राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में समीचीन है, इसके द्वारा तत्काल प्रभाव से पाँच पैसे तय करती है। प्रति यूनिट उस दर के रूप में जिस पर बिजली शुल्क की गणना की जाएगी और उक्त धारा के तीसरे परंतुक में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी–

(ए) तत्काल प्रभाव से, (प) इलेक्ट्रोकेमिकल उद्योगों में और (पप) इलेक्ट्रो थर्मल उद्योगों की इलेक्ट्रो भट्टियों में खपत की गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क हटा देता है।

(बी) सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में किसी नगर निगम बोर्ड या परिषद या पंचायत या पंचायत समिति या अन्य प्राधिकरण द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क 1 नवंबर, 1964 से प्रभावी रूप से हटा दिया गया है।

(सी) ऊपर (ए) में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत के अलावा अन्य उद्योगों में खपत होने वाली ऊर्जा पर ऐसे शुल्क को तत्काल प्रभाव से घटाकर (दो पैसे प्रति यूनिट) कर देता है।

10. इसमें कोई विवाद नहीं है कि विवाद खदानों से पानी निकालने के लिए खपत ऊर्जा के संबंध में शुल्क की छूट या कम दर के दावे से संबंधित हैं। दिनांक 26.03.1962 की अधिूसचना में भारतीय खान अधिनियम, 1923 में परिभाषित अनुसार खानों द्वारा या उनके संबंध में खपत की गयी ऊर्जा के लिए कर में स्पष्ट रूप से छूट दी गयी थी। 02.03.1963 और 01.11.1965 की दो बाद की अधिसूचनाओं में छूट के प्रावधान को हटा दिया गया है। खदानों का, वादी का मामला यह नहीं है कि किसी भी उद्योग में माल के निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया गया था। वादी का विशिष्ट मामला यह है कि खदानों को खनन गतिविधि के लिए तैयार करने के लिए खदानों से पानी निकालने, पत्थरों की खुदाई करने और उसके बाद उन्हें स्लैब में काटने और पॉलिश करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया गया था। 1963 की अधिूसचना ने 1962 की अधिसूचना का स्थान ले लिया और 1965 की अधिसूचना ने 1962 और 1963 दोनों अधिसूचनाओं का स्थान ले लिया। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है,

1963 और 1965 की अधिसूचनाओं में खदानों द्वारा या उनके संबंध में उपभोग की जाने वाली बिजली पर शुल्क में छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वादी का मामला है कि "बिजली का उपयोग खनन गतिविधि, अर्थात् पत्थरों की खुदाई को सुविधाजनक बनाने के लिए खदानों से पानी निकालने के उद्देश्य से किया गया था। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि खनन गतिविधि एक विनिर्माण गतिविधि से अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि खानों के संबंध में उक्त अधिसूचनाओं में छूट को हटाना जानबूझकर किया गया था ताकि खनन गतिविधि को अधिनियम की धारा 3 के दायरे में लाया जा सके। इसलिए हम इसके संबंध में 1962 की अधिसूचना से निपटना अनावश्यक मानते हैं। किसी खदान द्वारा या उसके संबंध में छूट का दावा।

11. "निर्माण" शब्द उस अधिनियम में परिभाषित नहीं है जिसके तहत उपरोक्त तीन अधिसूचनाएँ जारी की गयी थीं। अधिनियम की धारा 3(3) के तहत अधिसूचनाओं में प्रयुक्त शब्द "निर्माण" को, एक कर संबंधी कानून के रूप में, कानून में इसकी परिभाषा के अभाव में, इसके व्यावसायिक अर्थ में समझा जाना चाहिए। फैक्टरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम या उत्पाद शुल्क अधिनियम जैसे अन्य अधिनियमों में दी गई निर्माण की परिभाषाओँ को अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में "निर्माण" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय लागू नहीं किया जा सकता है।

12. अपील के तहत फैसले में विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा है "यह भी स्वीकार किया गया है कि बिजली का उपयोग खदानों से पानी निकालने के लिए किया गया था। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि वादी अपनी खदानों में अब तक काम नहीं कर सकता था जब तक कि पानी न निकाला गया हो। खदानों से पानी बाहर निकाला जाता था और इसलिए खदानों से पानी बाहर निकालना खदानों पर पत्थरों की खुदाई के साथ आकस्मिक था।"

इसके अलावा "विनिर्माण" और "विनिर्माण प्रक्रिया" से संबंधित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए इस प्रकार कहा गया है कि

"मेरी राय में खदानों से पत्थरों की खुदाई के काम को पूरा करने के लिए खदानों से पानी बाहर निकालना आवश्यक और आवश्यक था और इसलिए इसे पूरे उद्योगों और व्यवसाय की विनिर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। वादी द्वारा किया गया।"

13. दिनांक 26.03.1962 की अधिूसचना में राज्य ने भारतीय खान अधिनियम, 1923 में परिभाषित अनुसार किसी भी उद्योग में माल के निर्माण उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में और किसी भी खदान के संबंध में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को शुल्क से छूट दी थी। जैसा कि दिनांक 02.03.1963 और दिनांक 01.11.1965 की बाद की दो अधिसूचनाओं से देखा जा सकता है। दिनांक 26.03.1962 की अधिसूचना में खानों को दी गयी छूट वापस ले ली गयी। आशय स्पष्ट प्रतीत होता है कि विशेष रूप से खदानों को छूट उपलब्ध है। ले जाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने विशेष रूप से यह दलील नहीं दी कि बिजली का उपयोग खदानों से पानी निकालने के लिए किया जा रहा था, जो विनिर्माण प्रक्रिया का हिस्सा था। इसके अलावा खदानों से पत्थरों की खुदाई और उसके बाद उन्हें काटकर पॉलिश करके स्लैब में डालना माल के निर्माण के बराबर नहीं था। अधिनियम में इसकी परिभाषा के अभाव में आमतौर पर और सामान्य बोलचाल में "निर्माण" शब्द का अर्थ कुछ परिवर्तन से गुजरने के बाद विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाले एक नए और अलग लेख को अस्तित्व में लाना समझा जाना चाहिए। जब कोई नया उत्पाद अस्तित्व में नहीं आता है, तो निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पत्थरों को काटकर स्लैब में चमकाना स्पष्ट और सरल कारण से निर्माण की प्रक्रिया नहीं है कि कोई नया और विशिष्ट वाणिज्यिक उत्पाद अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि अंतिम उत्पाद अभी भी पत्थर ही बना रहा और इस प्रकार इसकी मूल पहचान बनी रही।

14. यह न्यायालय भारत संघ एवं अन्य में है। बनाम दिल्ली क्लॉथ एवं जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1977) ई.एल.टी. (जे.199) पैरा 14 में निर्माण के अर्थ के बारे में इस प्रकार बताया गया है–

"निर्माण" शब्द का उपयोग आमतौर पर 'एक नए पदार्थ को अस्तित्व में लाना" के रूप में किया जाता है और इसका मतलब केवल किसी पदार्थ में कुछ परिवर्तन उत्पन्न करना नहीं है, चाहे परिवर्तन कितना भी मामूली क्यों न हो। यह अंतर इस प्रकार शब्दों और वाक्यांशों के स्थायी संस्करण में उद्धत एक अनुच्छेद में अच्छी तरह से लाया गया है। खंड 26, एक अमेरिकी निर्णय से। अनुच्छेद इस प्रकार चलता है–

"विनिर्माण का तात्पर्य परिवर्तन से है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन निर्माण नहीं है और फिर भी किसी वस्तु का प्रत्येक परिवर्तन उपचार, श्रम और परिवर्तन का परिणाम है। एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ एक नई और अलग वस्तु उभरनी चाहिए।"

उसी फैसले का पैरा 17 इस प्रकार है

"ये परिभाषाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि "वस्तु" बनने के लिए एक वस्तु कुछ ऐसी होनी चाहिए, जो आम तौर पर बाजार में लाई और बेची जा सके।"

15. कलेक्टर आॅफ सेंट्रल एक्साइज, जयपुर बनाम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना, राजस्थान, (1991) 4 एस.सी.सी 473 के मामले में यह न्यायालय निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया पर विचार कर रहा था। सामान्य नमक नमकीन के निर्माण के लिए डीजल पंप का उपयोग करके नमक पैन में पंप किया जाता है और चूना, कोक और चूना पत्थर के निर्माण के लिए बिजली की सहायता से मुख्य भट्टे पर प्लेटफार्म पर लाया जाता है। यह माना गया कि नमकीन पानी को पंप करना और कच्चे मामल को उठाना विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रक्रियाओं का गठन करता है। फैसले का पैरा 16 इस प्रकार है–

माल के निर्माण में अभिव्यक्ति आम तौर पर डीलर द्वारा कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने की पूरी प्रक्रिया को शामिल करती है। जहाँ कोई विशेष प्रक्रिया माल के अंतिम उत्पादन के साथ इतनी अभिन्न रूप से जुड़ी होती है कि उस प्रक्रिया के अलावा निर्माण या माल का प्रसंस्करण व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक होगा, उस प्रक्रिया में आवश्यक सामान, हमारे निर्णय में, "माल के निर्माण में" अभिव्यक्त के अंतर्गत आएगा।

इस न्यायालय ने उसी फैसले में पैरा 21 में इस प्रकार कहा है–

"एक प्रक्रिया एक विनिर्माण प्रक्रिया है जब यह पूरे घटकों के लिए एक पूर्ण परिवर्तन लाती है ताकि व्यावसायिक रूप से अलग लेख या वस्तु उत्पादन किया जा सके, लेकिन उस प्रक्रिया में स्वंय कई प्रक्रियाएँ शामिल हो सकती हैं, जो कोई बदलाव ला भी सकती हैं और नहीं भी। प्रत्येक मध्यवर्ती चरण, लेकिन गतिविधियाँ या संचालन इतने अभिन्न रूप से जुड़े हो सकते हैं कि अंतिम परिणाम व्यावसायिक रूप से भिन्न वस्तु का उत्पादन होता है। इसलिए, कोई भी गतिविधि या संचालन जो आवश्यक है और अंत के लिए आगे के संचालन से संबंधित है। परिणाम छूट अधिसूचना में प्रासंगिक खंड को आकर्षित करने के लिए विनिर्माण में या उसके संबंध में एक प्रक्रिया भी होगी।

हमारे विचार में, "प्रक्रिया" शब्द जिस संदर्भ में उपरोक्त अधिसूचना में दिखायी देता है, उसमें इसके संबंध में एक संचालन या गतिविधि शामिल है निर्माण।'

16. निष्कर्षतः ऐसा कहा जाता है कि यदि निर्माण के दौरान कोई भी संचालन आगे के संचालन से इतना अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं का उद्भव होता है और ऐसा संचालन बिजली की सहायता से किया जाता है, तो निर्माण में या उसके संबंध में प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। इसे शक्ति की सहायता से किया गया माना जाएगा। पानी को पंप करना, पत्थरों की खुदाई करना और उन्हें काटकर स्लैब में पॉलिश करना वस्तुओं के निर्माण में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है।

17. ऊपर कही गयी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें न्यायाधीश के इस विचार को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि खदानों से पानी निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को पूरे उद्योग की विनिर्माण प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए और वादी द्वारा किया गया व्यवसाय। यह स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि पत्थरों की खुदाई और उसके बाद उन्हें स्लैब में काटने और पॉलिश करने से किसी सामान का निर्माण हुआ। सबूतों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि दो अलग–अलग बिजली मीटर हैं। एक जरूरत पड़ने पर पानी निकालने के लिए, दूसरा इस कार्यशाला के लिए जहाँ खोदे गए पत्थरों को ले जाया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पानी निकालने के लिए खर्च की गयी बिजली का उपयोग वादी के विनिर्माण व्यवसाय में नहीं किया गया था।

18. ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में, हमारी सुविचारित राय है कि किसी थान से पानी निकालने के लिए खपत की गई ऊर्जा को किसी भी उद्योग में विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में उपभोक्ता द्वारा खपत की गई ऊर्जा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दो अधिसूचनाओं दिनांक 02.03.1963 और दिनांक 01.11.1965 के आधार पर वादी द्वारा माल की छूट या शुल्क की कम दर का दावा करने के लिए। हमने जो विचार किया है, उसमें अपील सफल होने की हकदार है। इसलिए इसकी अनुमति दी जाती है। अपील के तहत निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, पक्षकारों को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपनी लागत स्वंय वहन करनी होगी।

Translated By– Aditya Singh
Civil Judge (J.D) Chandpur
Bijnor